आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –141 / 2022
उमेश ठाकुर
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–19328 / 2021 में दिनांक 06.05.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–13 / 2018–19 में दिनांक–03.09.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 06.05.2022 में अंकित है कि:– ***"This application is permitted to be withdrawn with the liberty as sought. The petitioner appears to have approached this Court soon after passing of the said appellate order dated 03-09-2021. In such view of the matter, it is observed that if the petitioner files his Revision application within four weeks from today with an application seeking condonation of delay, the revisional authority shall decide the petitioner's Revision Application on merits after condoning the delay keeping in mind the fact that the petitioner was pursuing his remedy before this Court by filing present writ application.*** ***The application stands disposed of with aforesaid direction and observation."*** उपर्युक्त के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा	

WEB COPY NOT OFFICIAL

विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना।

वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि कुछ उपभोक्ताओं द्वारा माह नवम्बर 2016 से फरवरी 2017 तक उपभोक्ताओं को राशन नहीं देने की शिकायत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर के समक्ष किया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर परिवाद सं0–5140010108091701324 (उपभोक्ताओं) रामबाबू पटेल, रामबाबू महतो एवं अन्य में दिनांक 28.11.2017 को पारित आदेश में पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता से अनुमंडल कार्यालय के ज्ञापांक 753/आ0 दिनांक 26.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित साक्ष्य पंजी अपूर्ण होने के कारण पुनः विक्रेता से अनुमंडल कार्यालय के ज्ञापांक 939 दिनांक 11.09.2018 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गई, जिसका जवाब पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित कर दिया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक एवं भ्रामक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर ने अपने आदेश ज्ञापांक 1097/आ0 दिनांक 08.10.2018 से पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने समाहर्त्ता न्यायालय, मुजफ्फरपुर के समक्ष वाद सं0–13/2018–19 दायर किया। समाहर्त्ता न्यायालय ने भी अपने मुखर आदेश दिनांक 03.09.2021 से पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 19328/2021 में दिनांक 06.05.2022 को आदेश पारित किया जिसके आलोक में यह वाद दायर है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गायघाट के ज्ञापांक 35 दिनांक 03.03.2017 के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता ने जनवरी 2017 एवं फरवरी 2017 के उठाव किये गये अवितरित खाद्यान्न को एक अन्य विक्रेता (विभीषण राय) को दे दिया था। जिन उपभोक्ताओं ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराया था उनका राशन अन्य जन वितरण प्रणाली विक्रेता (विभीषन राय) को देना था, जिसके द्वारा उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया गया। इसमें पुनरीक्षणकर्ता की कोई गलती नहीं है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के आदेश में यह अंकित किया जाना कि एक ही उपभोक्ता के द्वारा कई उपभोक्ताओं के अनाज का उठाव कर लिया गया है, इस संबंध में कहना है कि यह कोई गलती नहीं है। व्यवहारिक रूप से अनाज लेने जब कोई उपभोक्ता जाता है तो अन्य उपभोक्ताओं का भी अनाज लेकर आ जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने बिना किसी सूचना के अपना आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। इनका यह भी दावा है कि दिनांक 26.07.2018 को हुए स्पष्टीकरण में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा माह नवम्बर 2016 से फरवरी 2017 तक के राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया है एवं द्वितीय कारण–पृच्छा में मार्च 2017 से मई 2017 के खाद्यान्न एवं किरासन तेल के भंडार पंजी तथा वितरण पंजी की स्वअभिप्रमाणित प्रति की मांग की गई थी।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता ने 16 माह के राशन एवं किरासन तेल का वितरण नहीं किया था। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर ने भी अपने आदेश दिनांक–27.11.2017 से पुनरीक्षणकर्ता को दोषी माना है, जिस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया है। समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने भी अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया है, जो विधि सम्मत है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की कार्रवाई की गयी है तथा निम्न न्यायालय के समक्ष अपीलकर्त्ता द्वारा अपील दायर किये जाने पर निम्न न्यायालय द्वारा अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता की अपील अस्वीकृत की गयी है, जिससे प्रस्तुत मामले में निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

जहां तक पुनरीक्षणकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि जब अनुज्ञप्तिधारी से अनाज लेने कोई एक उपभोक्ता जाते हैं, तो वे अन्य उपभोक्ता का भी अनाज लेकर आ जाते है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 14 (i) में स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी राशन***

WEB COPY NOT OFFICIAL

कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण करेगा। अर्थात जो कार्डधारी हैं उन्हे ही अनाज दिया जाना है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में रक्षित वितरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश कार्डधारी के नाम के सामने किसी दूसरे का हस्ताक्षर है। पुनरीक्षणकर्ता पर लगे आरोप से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक लंबे समय जक उपभोक्ताओं को अनाज नहीं दिया गया है, अर्थात उस बचे हुए अनाज की उनके द्वारा कालाबाजारी किया गया है। उनका यह कृत्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के भी प्रतिकूल है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उन्हे सुनवाई के दौरान समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं अंतिम सुनवाई की तिथि दिनांक 03.09.2021 को पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर Written Argument भी दिये हैं, इससे उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उन्हे बिना किसी सूचना के आदेश पारित कर दिया गया है। साथ ही अब जहां तक पुनरीक्षणकर्ता के अन्य दावो का प्रश्न है तो उनके (पुनरीक्षणकर्ता) इन दावो पर अपीलवाद के दौरान विस्तृत रुप से विचारोपरांत समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने बिन्दुबार अपना मुखर निष्कर्ष अंकित करते हुए उनके (पुनरीक्षणकर्ता) अपीलवाद को अस्वीकृत किया है। ऐसी स्थिति मे उन्ही तर्को की पुनरावृति के साथ प्रस्तुत इस पुनरीक्षणवाद के आधार पर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL